




### मारबर्ग वायरस

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अफ्रीकी देश रवांडा में मारबर्ग वायरस के कारण कम से कम 15 मौतें और सैकड़ों संक्रमण के कारण यह चर्चा में बना हुआ है।
- यह अधिक चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि पिछले दो महीनों में इसका 17 अफ्रीकी देशों में तेजी से प्रचार हुआ है।



# मारबर्ग वायरस क्या है ?

जूनोटिक RNA वायरस


- यह एक आनुवंशिक रूप से अद्वितीय जूनोटिक RNA वायरस है, जो ज्यादातर चमगादड़ों में ही मिलता है। ये वायरस इबोला फैमिली से आता है।
- कारक एजेंट: एमवीडी मारबर्ग वायरस
- इसकी पहली बार पहचान साल 1967 में जर्मनी की मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट शहर की लैब्स में हुई थी।
- ये वायरस संक्रमित व्यक्ति या चीजों को छूने से फैलती है

स्रोत - चमगादड़

फैमिली - इबोला

1967 में जर्मनी

मारबर्ग, फ्रैंकफर्ट



# मारबर्ग वायरस क्या है ?

संचरण

चमत्तिया

डोरे का किला  
जिण्ड

फल चमगादड़

- प्राथमिक स्रोत : फल चमगादड़।
- मानव संक्रमण : संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधा संपर्क , दूषित सतहों के साथ संपर्क।



# मारबर्ग वायरस क्या है ?

## लक्षण

- संपर्क के 2 से 21 दिन बाद। 2-21
- शुरुआती लक्षण (दिन 1-2): तेज़ बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द
- उच्च जोखिम वाले समूह ✓
- रोगी की देखभाल के संपर्क में आने के कारण। ✓
- अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले : संक्रमित शवों के संपर्क में आने से भी इसका संक्रमण हो सकता है ।

# मारबर्ग वायरस क्या है ?

रोकथाम और उपचार

- वर्तमान में कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है।

रवांडा ✓

पूर्वी मध्य अफ्रीका देश ✓

- एक landlocked देश ✓

- सीमावर्ती देश - बुरुंडी, युगांडा, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

- राजधानी - किगाली

- मुद्रा - रवांडा फ्रैंक

Breathing


drop →

landlocked कोई भी सामुद्रिक सीमा इस देश से नहीं लगती है

बुरुंडी युगांडा तंजानिया कांगो लोकतांत्रिक

# जूनोटिक रोग क्या है ?

- सामान्यतः पशुओं और जीव जंतुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी
- 1880 में रुडोल्फ विरचो द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया



मारुग वायरस



अफ्रीकी देश - स्वांडा

15 से ज्यादा मौतों और

सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं

• प्रसार - 17 अफ्रीकी देशों में

आनुवंशिक रूप से अतिनीच जूनोतिक RNA वायरस है

- क्षोभ - फल चमकाए

- फोर्मली - इगोला

पहचान - 1967

जर्मनी की मारुग और फ्रेंकफर्ट दो शहरों

- स्वांडा देश

- पूर्वोत्तर अफ्रीका का देश है

- सीमावर्ती देश - बुर्कीना, युगांडा, लंजानिया, कांगो गणराज्य

- राजधानी किगाली

- मुद्रा - स्वांडा फ्रैंक



## Daily Current Affairs

### रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

रेलवे बोर्ड शक्तियों का आकाश



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 किया पेश किया है
- भारतीय रेलवे के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है







रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

विधेयक का उद्देश्य

- रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करना
- रेलवे अधिनियम 1989 में आवश्यक संशोधन करना
- भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत करना आदि

फार्म के कोर्से एकावर  
ही माल, चाहे,  
fare  
उनालिपरक  
अम्पु कर्फीर

1989

1905

1989



रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

रेलवे अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताएं

- रेलवे अधिनियम, 1989 भारतीय रेलवे के कामकाज और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करता है।
- यह प्रशासनिक आसानी के लिए रेलवे को ज़ोन में संगठित करने का प्रावधान करता है।



रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

रेलवे अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताएं

- वही भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 ने भारतीय रेलवे को प्रशासित करने के लिए रेलवे बोर्ड को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में गठित किया है।
- रेलवे बोर्ड का गठन: भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार रेलवे से संबंधित अपनी शक्तियां और कार्यों को रेलवे बोर्ड में निवेश कर सकती है।

1905  
→



रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

रेलवे अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताएं

- अतः अब जबकि इस अधिनियम, 1905 को रेलवे अधिनियम, 1989 में एकीकृत किया जाना है तो सरकार रेलवे बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर कार्यक्षमता और स्वायत्तता में वृद्धि कर सकती है।




रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024

रेलवे अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताएं


केंद्र सरकार बोर्ड गठन के साथ

- (i) बोर्ड के सदस्यों की संख्या, और
- (ii) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, अनुभव, सेवा की शर्तें और नियम तथा नियुक्ति का तरीका आदि का भी प्रावधान करेंगी।



# भारतीय रेलवे

- स्थापना - 1853
- भारत की पहली रेलगाड़ी 21 मील की दूरी पर मुंबई से ठाणे के बीच चली।
- वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।
- 2050 तक, भारत वैश्विक रेल गतिविधियों में 40% हिस्सेदारी का लक्ष्य निर्धारित



# 2024-25 बजट में रेलवे

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,62,200 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। 2024-25 के दौरान रेलवे के लिए सकल बजटीय सहायता 2,52,200 करोड़ रुपये है।
- रेलवे क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति।

FDI



## अन्य तथ्य

- रेलवे ने बुनियादी ढांचे में कई उपलब्धियां हासिल की
- पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने 31,180 किलोमीटर ट्रैक चालू किए हैं।





## अन्य तथ्य

- ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2014-2024 के दौरान भारतीय रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा केवल 21,413 रूट किलोमीटर था।





### प्रोबा-3 मिशन

#### चर्चा में क्यों ?

- 5 दिसम्बर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लांच
- प्रक्षेपण की सुविधा इसरो द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के तहत की गई
- **कहाँ से** - श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से






प्रोबा-3 मिशन

चर्चा में क्यों ?

PSLV-C59 - रॉकेट - launching


- किसके द्वारा - PSLV-C59 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है
- विशेष - PROBA-3 मिशन के अंतर्गत दो उपग्रहों को भी ले जाया गया है
- दो उपग्रहों में कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑक्युल्टर स्पेसक्राफ्ट शामिल





### प्रोबा-3 मिशन

- यह पहली बार होगा जब प्रोबा-3 मिशन में दो कृत्रिम उपग्रह 'समानांतर उपग्रह युग्म (Parallel Satellite Pair)' संरचना में होंगे।
- निर्माण एवं डिज़ाइन - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)
- इसके पूर्ववर्ती प्रोबा-1 (इसरो द्वारा ही प्रक्षेपित) और प्रोबा-2 को क्रमशः 2001 और 2009 में प्रक्षेपित किया गया था।





### प्रोबा-3 मिशन

- प्रोबा-3 मिशन को 200 मिलियन यूरो की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है और इसकी मिशन अवधि दो वर्ष है। इसरो दोनों उपग्रहों को 600 x 60530 किलोमीटर की अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक साथ प्रक्षेपित करेगा।
- बाद में, उपग्रहों को अलग करके समानांतर कक्षा में स्थापित किया जाएगा।



### प्रोबा-3 मिशन

#### प्रोबा-3 मिशन के प्रमुख उपकरण

- सूर्य के कोरोना की पोलरिमेट्रिक और इमेजिंग जांच के लिए एएसपीआईआईसीएस या कोरोनाग्राफ
- डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर (DARA) सूर्य के कुल ऊर्जा उत्पादन, जिसे कुल सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, का निरंतर माप बनाए रखेगा।



### प्रोबा-3 मिशन

#### प्रोबा-3 मिशन के प्रमुख उपकरण

- 3 डी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर (3डीईईएस) पृथ्वी के विकिरण बेल्ट से गुजरते समय इलेक्ट्रॉन प्रवाह को मापेगा, तथा अंतरिक्ष मौसम अध्ययन के लिए डेटा उपलब्ध कराएगा।



### प्रोबा-3 मिशन

#### इसरो के लिए महत्व

- विदेशी उपग्रहों के सफलता पूर्वक लॉन्च से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान में इसरो की साख में वृद्धि।
- यह अन्वेषण वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के भारत के दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है।





प्रोबा-3 मिशन

इसरो के लिए महत्व

- आगामी लक्ष्य - वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएसएस) की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के उतरने का लक्ष्य।

2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन  
गौरव की स्थापना करना

2040 - चंद्रमा की  
सतह पर भारतीय अंतरिक्ष  
यात्री के उतराने



### प्रोबा-3 मिशन

#### इसरो के लिए महत्व



- **प्रोत्साहन** - अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास व अंतरिक्ष उन्मुख स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस) के तत्वावधान में 1,000 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी (वीसी) कोष को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

# PSLV-C59

- एक उन्नत लॉन्च व्हिकल
- यह व्हिकल 44.5 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका द्रव्यमान 320 टन है।
- इसरो के सबसे विश्वस्सनीय लॉन्च व्हिकल में से एक

High Tech.  
launching vehicle

44.5 m.


320 टन

पेलो

Mangalyan-0

November

PSLV-0



# PSLV-C59

- एक उन्नत लॉन्च व्हिकल
- यह व्हिकल 44.5 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका द्रव्यमान 320 टन है।
- इसरो के सबसे विश्वस्सनीय लॉन्च व्हिकल में से एक





# भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

- सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी

मुख्यालय

बेंगलुरु (कर्नाटक)

गठन

15 अगस्त 1969 को





# भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में 6 मार्च, 2019 को की गई थी
- उद्देश्य : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) केंद्रों और डीओएस की घटक इकाइयों के अनुसंधान और विकास कार्यों का व्यावसायिक उपयोग करना आदि

2019





### अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

#### चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को संविधान के तहत प्रदान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें क्षमा प्रदान की है।
- यह क्षमा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच के दौरान एफबीआई से झूठ बोलने के मामले में दी गई।



अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

संवैधानिक प्रावधान

- अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद ॥, धारा 2 के तहत राष्ट्रपति को संघीय अपराधों के लिए क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है।
- महाभियोग के मामलों में क्षमादान की अनुमति नहीं है।

FBI





## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

#### सीमाएँ

- राज्य अपराधों पर लागू नहीं
- राज्य कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही संघीय अपराध में क्षमा दी गई हो।



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

#### स्वतंत्रता

- क्षमादान पूरी तरह विवेकाधीन है। ✓
- राष्ट्रपति को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। ✓
- भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

#### संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है:

- संघीय कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए।
- सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा के मामलों में।
- राज्यों द्वारा मृत्युदंड के मामलों में



अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन


अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

शक्तियों का स्वरूप

- स्वतंत्र न्यायिक शक्ति : राष्ट्रपति न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के लिए अंतिम उपाय के रूप में काम करते हैं।

उद्देश्य:

- अत्यधिक कठोर सजा में राहत देना।
- न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना।





## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

#### क्षमादान के प्रकार

- क्षमा (Pardon): दोषसिद्धि और सजा दोनों को समाप्त करता है।
- लघुकरण (Commutation): सजा को हल्की सजा में बदलना।
- छूट (Remission): सजा की अवधि को कम करना।



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

#### क्षमादान के प्रकार

- राहत (Respite) : विशेष परिस्थितियों के आधार पर सजा में राहत।
- रिप्रिव (Reprieve): सजा को अस्थायी रूप से स्थगित करना।



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

सार्वजनिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में

- अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी तरह विवेकाधीन हैं।
- भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करते हैं।



अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

क्षेत्राधिकार के संदर्भ में

- अमेरिकी राष्ट्रपति केवल संघीय अपराधों के लिए क्षमादान दे सकते हैं।
- भारतीय राष्ट्रपति संघीय कानून, सैन्य अदालतों, और मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान दे सकते हैं।

*Federal  
रांघीय*





अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

मृत्युदंड के संदर्भ में

- अमेरिकी राष्ट्रपति मृत्युदंड में हस्तक्षेप नहीं करते।
- भारतीय राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं।



अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

भारत में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति

- अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य कानूनों के अपराधों पर सजा माफ, कम, या स्थगित कर सकते हैं।





## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

#### सीमाएँ

- सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है।
- भारत में राष्ट्रपति की मृत्युदंड की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- दया याचिका पर राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई के लिए बाध्य नहीं



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

#### सीमाएँ

- राष्ट्रपति साक्ष्यों की पुनः जांच कर सकते हैं।
- निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो।



## अमेरिका एवं भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां : एक तुलनात्मक अध्ययन

### अमेरिका और भारत की क्षमादान शक्तियों में प्रमुख अंतर

#### निष्कर्ष

- भारत और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उद्देश्य न्याय में त्रुटियों को सुधारना और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करना है।
- हालांकि, भारत में यह शक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है, जबकि अमेरिका में यह राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है।



## बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को 9 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया जो कि 3 दिसम्बर 2024 को लोक सभा द्वारा पास कर दिया गया है।





## बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

यह निम्नलिखित में संशोधन का प्रावधान करता है:

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934,
- (ii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
- (iii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955,
- (iv) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, और
- (v) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980

1 अक्टूबर 1935 - RBI



## बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

### प्रमुख विशेषताएं

#### 1. नामांकन प्रावधान:

- खाताधारकों को 4 नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की अनुमति, जिन्हें एक साथ या क्रमिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है।
- बैंक लॉकर मामलों में, केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति।

खाता

→ 4 अलग-अलग





## बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

### प्रमुख विशेषताएं

#### 2. पर्याप्त ब्याज सीमा:

- निदेशक पद के लिए "पर्याप्त ब्याज" की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ की गई।

#### 3. निदेशकों का कार्यकाल:

- सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।



## बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

### प्रमुख विशेषताएं

#### 4. विलयित निदेशक पद:

- केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति।

#### 5. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक:

- बैंकों को लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय करने का लचीलापन दिया गया।

लेखा 5/11



बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन

प्रमुख विशेषताएं

6. रिपोर्टिंग तिथियां:

- नियामक रिपोर्टिंग तिथियां दूसरे और चौथे शुक्रवार से बदलकर माह की 15वीं और अंतिम तारीख कर दी गईं।

